

## अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)  
व इजलास नीतू मीना (आर.ए.एस.)  
मुकदमा नम्बर 133/2022

बाबू पुत्र छीतर जाति रेगर उम्र 45 साल निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. भागवन्द पुत्र नाथू
2. केसर पत्नी चन्द्रा
3. पप्पू पुत्र चन्द्रा
4. लाली पत्नी नाथू
5. श्योजी पुत्र चन्द्रा
6. सुखदेव पुत्र चन्द्रा

7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज।
8. उपपंजीयक अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राज।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राज।

प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 03.08.2025

उपस्थित:- 1-योगेश शर्मा (वकील वादीगण)

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील योगेश शर्मा द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड न्यायालय अराई में पेश किया तथा बाद जांच बाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।

वाद में वाद पत्र के में वर्णित कृषि भूमि ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक 365, 481, 491, 608, 609 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.2424 हैक्टेयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी by meets and bounds के आधार पर विधिक विभाजन का निवेदन किया गया। दिनांक 9.2.2024 वकील उभयपक्षद्वारा निवेदन किया गया कि कब्जे को प्राथमिकता देते हुए अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By

Mets And Bounds)के आधार पर बंटवारा कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 18.10.2024 को तहसीलदार अराई द्वारा प्राथमिक डिक्री व आदेश दिनांक 26.7.2024 को पालना में अप्रार्थीगणों व प्रार्थीगणों की उपस्थिती में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील वादी द्वारा दिनांक 13.8.2025 द्वारा एकपक्षीय बहस की गई तथा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कराने की प्रार्थना की गई।

रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा में वर्णित कृषि भूमि ग्राम ढसूक  
 481, 491, 608, 609 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.2424 हैकटेयर  
 प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित  
 बंटवारा जांच रिपोर्ट अनुसार आपसी सहमति के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से  
 (And Bounds)के बंटवारा प्रस्ताव आधार पर वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता  
 अराई को तहशीर जारी हो। तहसीलदार अराई से प्राप्त कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार  
 है उक्त बंटवारे में कमीश्नर रिपोर्ट एवम् संलग्न मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग  
 अराई द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से  
 किया जाता है-

क्र.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा(है.)	किस्म	लगा न	रंग
1.	भागचन्द पुत्र नाथू हिस्सा 1/2 लाली पत्नि नाथू हिस्सा 1/2 जाति रेगर सा0देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा ढसूक	1413 / 481 / 1 491 / 1 491 / 5 609 / 3	1.0759 0.1430 0.2022 0.2939	बंजर 2 नहरी 1 नहरी 1 बंजर 1	9.17	लाल
2.	बालू पुत्र छीतर हि0 पूर्ण जाति रेगर सा0देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा ढसूक	1413 / 481 / 2 491 / 3 491 / 6 609 / 1	1.0759 0.1429 0.2022 0.2939	बंजर 2 नहरी1 नहरी1,बंजर2 बंजर2 बारानी2	9.17	नारंगी
3.	केशर पत्नि चन्द्रा हि01 / 4 पप्पू पुत्र चन्द्राहि0 1 / 4 सुखदेव पुत्र चन्द्रा हि 1 / 4 (बिना रहन)शयोजी पुत्र चन्द्रा हि 1 / 4 राहिन एसबीबीजे ढसूक सर्वकौम रेगर सा0देह खातेदार	1413 / 481 / 3 491 / 2 491 / 4 609 / 2	1.0760 0.1430 0.2022 0.2940	बंजर 2 बारानी1 नहरी1 नहरी1, बारानी2	9.18	गुलाबी

WZ

पत्नि चन्द्रा 1/12 पप्पू पुत्र	1414 / 481	0.0081	गे0मु0चाह	-	भुरा
सुखदेव पुत्र चन्द्रा हि 1/12 (बिना रहन) बालू पुत्र	365	0.0243	गे0मु0खडडा		
छीतर हि0 1/3, भागचन्द पुत्र नाथू हि 1/6, लाली	608	0.0.243	गे0मु0चाह		
पत्नि नाथू हिस्सा 1/6 श्योजी पुत्र चन्द्रा हि 1/12	491 / 7	0.0405	बंजर 2		
राहिन एसबीबीजे ढसूक सर्वकौम रेगर सा0देह खातेदार					

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.8.25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(नीतू श्रीवा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई (अजमेर)